



बैंक कार RJ 19 CE-5451 नीलामी सूचना

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की फोर्ड ईको स्पोर्ट्स कार मॉडल 2014 पंजीकरण क्रमांक RJ 19 CE-5451 "जहाँ हैं जैसी हैं" के आधार पर विक्रय के लिये उपलब्ध है। कार का निरीक्षण बैंक के गेस्ट हाऊस, मिल्क मैन कॉलोनी, जोधपुर में दिनांक 08.11.2023 को (प्रातः 10:30 बजे से सांय 4:30 तक) किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा मुख्य प्रबंधक, कार्यालय प्रशासन विभाग, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, तुलसी टावर, सरदारपुरा, 9वीं बी रोड़, जोधपुर को रू0 10,000/- धरोहर राशि, जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर के पक्ष देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद के साथ उपरोक्त पते पर प्रेषित/सुपुर्द करे जो दिनांक 15.11.2023 को प्रातः 11:00 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हो जाये। लिफाफे पर "कार खरीद हेतु निविदा" लिखा होना चाहिये।

खुली बोली की सूचना दो दिवस पूर्व मोबाईल तथा ई-मेल पर प्रेषित की जायेगी। सफल निविदाकर्ता को स्वीकृति के सात दिनों के अन्दर अन्दर पूर्ण भुगतान कर कार की सुपुर्दगी लेनी होगी अन्यथा धरोहर राशि रू0 10,000/- जब्त कर ली जायेगी। बैंक को बिना कारण बताये किसी भी निविदा/सभी निविदाओ को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। जिसकी निविदा अंतिम रूप में स्वीकार नहीं होगी, उन्हें धरोहर राशि बिना ब्याज और किसी प्रकार के खर्च के लौटा दी जायेगी। निर्धारित न्यूनतम दर से कम पर निविदा छूटती है तो निलामी को निरस्त करने का अधिकार बैंक को रहेगा।


महाप्रबंधक


सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,
राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
जोधपुर।

स्थान : जोधपुर
दिनांक :

प्रिय महोदय,

बैंक कार RJ 19 CE-5451 नीलामी सूचना से खरीदने के क्रम में बोली

आप द्वारा समाचार पत्र में दिये विज्ञापन दिनांक तथा बैंक की वेब साईट पर जारी सूचना के अनुसार कार नं० **RJ 19 CE 5451** को नीलामी से खरीदने हेतु मेरी बोली **रु०** (अक्षरे रूपये) है तथा मेरे द्वारा यह भी घोषणा की जाती है कि यदि खुली बोली के दौरान मेरे द्वारा अधिक राशि की बोली लगाई जाती है, तो इस आधिक्य राशि को भी देने के लिए मैं बाध्य रहूंगा। मेरे द्वारा उपरोक्त वाहन का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन कर लिया गया है तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही उपरोक्तानुसार बोली राशि दी गई है, यदि मेरे पक्ष में बोली छूटती है, तो मैं बैंक द्वारा निर्धारित समय में वाहन की सम्पूर्ण बोली राशि जमा करवाकर वाहन की सुपुर्दगी ले लूंगा। यह बोली मैंने बिना किसी नशे पते तथा पूर्ण होश हवास के दी है।

भवदीय,

(नाम :)

पता :

मोबाइल तथा ई-मेल

नियम व शर्तें

- 1 कार जैसी है जिस हालत में है, बैंक द्वारा बताये गये स्थान पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। इन्हें नीलामी से पूर्व अयन्त्र स्थानांतरित नहीं की जायेगी।
- 2 कार के क्रम में जिसकी बोली अधिकतम आयेगी उसको 7 (सात) दिन के अन्दर-अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करवाकर कार की सुपुर्दगी की सहमति देनी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 3 साथ ही क्रेता अवगत रहे कि कार की भौतिक सुपुर्दगी बैंक द्वारा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही के बाद ही की जायेगी।
- 4 कार की उचित बोली (राशि) प्राप्त होने पर ही बोली को अंतिम किया जायेगा अन्यथा धरोहर राशि बोली दाताओं को पुनः लौटा दी जायेगी।
- 5 किसी भी तरह की निविदा बोली को निरस्त करने का बैंक के पास अधिकार सुरक्षित है। अतः बैंक कभी भी किसी भी निविदा बोली को निरस्त कर सकता है।
- 6 न्यूनतम बोली मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित किया जायेगा, वृद्धि रु० 5,000.00 के गुणांक में ही रहेगी।
- 7 कार क्रेता को नाम हस्तान्तरण की प्रक्रिया बैंक द्वारा पूर्ण कर कार की सुपुर्दगी की जायेगी।

